### 165 Admission of certain [10 AUG 1983] Calling Attension Notices

थी शिव चन्द्र झा : मध्यक्ष महोव्य, भापने मुझे पहले बुलाया था, पहले भापने बुलाया था ? क्या ग्रापका नियम है ? ... (व्यवधान) । मेरा प्वाइंट भाफ माडेंर है।

श्री उपसमापतिः पूछिये प्वाइंट झाफ मार्डर क्या है। प्वाइंट माफ म्रार्डर रूल को किताब पढ़कर बताइये। मैं श्रापको मौर क्रुछ कहने नहीं दगा। (ब्यवधःन)

भी शिव चन्द्र झाः रूल 258 है। है ना? हैना? ... (व्यवधान)

भी उपसमापतिः देखिये, म्राप मजाक मत करिये ।

श्री शिव चन्द्र झाः यह जीरो ग्रवर है। ... (व्यवधन) ।

श्री उपसमापतिः कोई जीरो ग्रवर नहीं है रूल में । ... (व्यवधान)

श्री शिव चन्द्र झाः आपने पहले मुझे मोका दिया, फिर उसको खत्म कर दिया मौर दूसरों को बुला लिया। मैं जब बोलने लगा तो उधर चले गये।... (व्यवधान)

श्री उपसमापतिः क्या प्वाइंट ग्राफ ग्रार्डर है, कृपा करके बताइये । . . . (व्यवधान)...

श्री शिव चन्द्र झाः मैं यह कह रहा हूं कि जो बात को लेकर कल भी यहां पर सवाल उठा था ग्रौर रोज उ<sup>5</sup>ता है, उसकी जड़ में यह हैजो कि विषय हम देते हैं. \* and discussion on 166 certain other matters

भी उपसमापतिः यह प्वाइंट माफ प्रार्डर नहीं है।

This is not a point of order. Do **not** record it. We will now take up the Calling Attention. Yes, Mr. Paswan.

भी शिव चन्द्र झाः यह जो ग्रापका तरीका है इस तरीके के खिलाफ मैं वाक-माउट करता हं।

[माननीय सदफ्य सदन से ऊठकर चले गए]

#### CALLING ATTENTION TO A MAT-TER OF URGENT PUBLIC IMPORT-ANCE

Situation arising out of the reported difficulties being faced by the students, particularly those belonging to scheduled Castes and scheduled tribes, in getting admission to various courses in the Delhi University

श्री राम मगत पासवान (बिहार) : श्रीमन्, मैं ग्रापकी श्रनुमति से छातों, विशेषकर श्रनुसूवित जातियों तथा श्रनु-सूचित जन जातियों के छात्रों द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने में श्रनुभव की जा रही कठिनाइयों के समाचार से उत्पन्न स्थिति तथा इस बारे में सरकार धारा की गई कार्यवाही की ग्रोर शिक्षा, संस्कृति भोर समाज कल्याण मन्त्री का ध्यान माकर्षित करता हं।

THE DEPUTY MINISETER IN THE MINISTRIES OF EDUCATION AND CULTURE AND SOCIAL WELFARE. (SHRI P. K. THUNGON): Sir, the undergraduate programme offered by the University of Delhi can admit over 37,000

\*Not recorded.

#### 167 Calling attention re. Admission difficulties

(Shri P. K. Thumgon.)

students in a year. These facilities comprises of about 23,000 seats in regular B.A., B.Sc. and B. Com. courses, some 11.500 seats in Correspondence Courses and over 3,000 seats for women students who register with the Non-Collegiate Women's Education Board.

As against these facilities available in the University of Delhi, the total number of students who have secured 40 per cent or more marks in Senior Secondary School Examination in Delhi and qaulified to seek admission to colleges is 35,266.

The process of admissions to colleges in Delhi started on July 11, 1982 and will continue till August 16, 1983.

These are 64 institutions including even ing colleges attached to Delhi University. According to the admission procedure, students apply directly to colleges of their choice, and admissions are made by each college from among the students who apply, on the basis of merit. A large number of students apply simultaneously to several colleges. and those who have secured high percentage of marks get selected in several of them. In consequence, in the initial stages, it is likely that an impression is created that a large number of students with high percentage of marks have been denied admission. However, as actual admissions stabilise. most of such students are able to secure admission in one college or another.

It is true that all students in Delhi are not able to secure admissions to colleges and courses of their choice. The seats in different courses are limited, and so is the admission capacity in the individual colleges. However, on an overall basis, it is unlikely that any eligible student will be unable to get admission to an undergraduate programme Of the Delhi University. The correct position will emerge only when the admission is closed on August 10, 1988.

## [RAJYA SABHA] faced by SC/ST students 168 in Delhi University

The University has prescribed a separate procedure for admission of students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Such candidates register with the University for admission to B.A., B.Sc. and B. Com. courses. From among the students so registered, the University allots admission to colleges taking into account their choice, subject to availability of reserved seats.

total For Science courses. the number of Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates registered was 210, of whom, 202 who fulfilled the qualifications were allotted to different colleges. According to information available so far, only 165 students have collected their admission slips from the University. Evidently, there is no difficulty for SC/ST candidates seeking admission to Science courses.

For B.A. and B.Com. courses, out of 3069 candidates registered, 2486 were allotted to different colleges and courses of their choice in the first phase ending 8th July. The remaining candidates alongwith fresh applicants belonging to this category were given an opportunity to register again for other courses on July 26-27, 1983. 380 out of 501 candidates reistered during these days were allotted to colleges. 110 out of the remaining 121 were again permitted to exercise a fresh option of courses and are being accommodated in various colleges. leaving only 11 candidates who have not been allotted to any college 'so far.

The Government are anxious that the facilities provided for admission of SC/ST students in all Central Universities including Delhi University, are in accordance with the guidelines suggested by the Government. Accordingly, the Delhi University agreed to reserve 22.5% of the seats for SC/ST (15% for SC and 7.5% for ST) from the current year, as against 20% (15% for SC and 5% for ST) in earlier years. The University has also agreed to relax the minimum percentage of marks for eligibility

beyond 5%, and wherever reserved seats are available, to admit students who have obtained not less than 33%marks (pass marks) in the aggregate in the qualifying examination.

I have had the position of admission during the current year reviewed, in consultation with the University of Delhi and the University Grants Commission. I am glad to inform the House that the University has assured me that all the SC and ST candidates who are eligible to join the University will be offered admission in various courses. For this purpose, registration for SC/ST candidates will be kept open upto August 16, 1983.

It was brought to my notice that several students who had secured very high marks were unable to join Science (Honours) courses due to non-availability of seats, I am glad to inform the House that the Chairman, UGC has assured me that a few more colleges in Delhi will be allowed to offer Honours courses in Science enabling an additional 260 students to get admission to Science (Honours) courses.

I am sure the House will appreciate that the Government, the UGC and the Delhi University are making every endeadvour to ensure that eligible students, including those belonging to SC and ST, are admitted to various undergraduate programmes offered by the Delhi University.

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य (ग्रांध्र प्रदेश) : श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने ग्रभी जो वयान दिया है उसमें एक एम्बीग्वीटी मुझे साफ मालूम देती है । शेड्यूल्ड कास्ट्स ग्रोर शेडूयल्ड ट्राइब्स के ऐसे विद्यार्थी जो जनरल क्लासेस से ज्यादा नम्बर लाते हैं, क्या उन शेड्यूल्ड कास्ट्स ग्रोर शेडयूल्ड ट्राइब्स के लड़कों को भी भाप शेड्यूल्ड ग्रोर शेड्यूल्ड ट्राइब्स में ही गिनते हैं या जनरल लोगों में गिनबे हैं ? शेड्यूल्ड कास्ट्स ग्रौर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ग्रधिक से ग्रधिक बच्चों को दाखिला मिल सके, शेड्यूल्ड कास्ट्स ग्रौर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लड़के ग्रौर लड़कियों को भी जो कि डिस्टिंक्शन मार्क्स लाते हैं, जो फस्टें डिविजन में होते हैं, क्या उनको ग्राप जनरल कैटेगरी में लेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा शेड्यूल्ड कास्ट्स ग्रौर श्रेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को दाखिला मिल सके? यह ग्रापके बयान में नहीं है। मैं समझता हूं कि यह एम्बीग्वीटी है।

भी राम मगत पासवान : उपसभापति महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने अपने बयान में भाष्वासन दिया है। मैं उसके लिये उनको घन्यवाद देता हूं । बेकिन जो प्रेषिटकल बातें हैं, इन जातियों के लोगों को दिल्ली यूनिवसिंटी में সৰীয়া पाने के लिये क्या-क्या दिक्कतें होती हैं उनकी चर्चा कर देना चाहता हूं। सर्व-प्रयम तो एप्लीकेशंस फामें लिये जाते हैं। दूसरी यूनिवर्सिटीज में जब दाखिला होता है तो एक जगह पर फार्म वसूल कर विभिन्त विद्यालयों में भेज दिया जाता है। बाद में जो विद्यार्थी जहां जाना चाहता है वहां पर उनका फार्म भेज दिया जाता है। लेकिन दिल्ली युनिवसिटी में ग्रलग-ग्रलग कालेजों में एप्लीकेशंस फार्म लिये जाते हैं । हर सब्जेक्ट्स के लिये अलग-ग्रलग फार्म भरने पड़ते हैं। ये कालेजज को निर्धा-रित करना चाहिए कि हम 55 या 60 प्रतिशत वालों को एडमीशन देंगे ताकि बाकी लोग दूसरे कालेजों में जा पाते । लेकिन ऐसा नहीं होता है । वे सारे एप्लीकेशंस रख लेते हैं और अन्त में कह देते हैं कि हमारे यहां जगह नहीं है, सीटें भर गयी हैं। इस प्रकार से महीनों तक विद्यार्थियों को परेशान होना पड़ता है। इसके बाद वे दूसरे कालेजों में भी नहीं जा पाते हैं। इस प्रकार से हजारों छातों

يعجب والمتعارف والمراجع المجار فالمراجع

an an saide the said and

. . [श्री राम भगत पासवान]

णा भविष्य ग्रन्धकारमय हो जाता है। कालेजों का रवैया भी ग्रच्छा नहीं होता है। ग्रगर कोई गाजियन या विद्यार्थी प्राचार्य से मिलने के लिये जाता है. एडमिशन के विषय में कुछ जानना, चाहता है तो राष्ट्रपति जी से तो मिलना संभव है, लेकिन किरोड़ीमल कालेज, सेन्ट स्टीफन कालेज, हिन्दु कालेज के प्रिसिपल से मसंभव है। ग्रगर कोई लडका या लडकी या गाजियन मिलने में सफल भी हो जाता 🕈 तो उनसे कह दिया जाता है कि नोटिस बोर्ड में सब लगा दिया गया है । इस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है। मेरा कहना यह है कि बनिवर्सिटी को डायरेक्शन दी जानी चाहिए कि कितने प्रतिशत तक वे एड-मिशन दे रहे हैं ताकि बाकी लोग दूसरे कालेजों में जा सकें। अभी स्थिति यह 🕈 कि ग्रन्त में वे कह देते हैं कि हमारे यहां जगह नहीं है। इस तरह से हजारों चिद्यायियों का भविष्य ग्रन्धकारमय होता बारहा है। इन्होंने कहा है मपने ∎यान में कि 35 हजार की कैंपेसिटी है, दिल्ली युनिवर्सिंटी के मन्तर्गत । लेकिन महोदय, ग्रगर 35 हजार है तो इसके ग्रन्तगंत ग्रभी सिर्फ 23 हजार ही रेगुलर स्टडेंटस क्यों हैं और फिर जो यह कारेस-षोंडेंस कोर्स में करीब 11500 लड़के हैं इनको कारेसपोंडेंस में रखने की जरूरत क्या है। 12 हजार अभी ऐसे छात है. जिन को मभी तक एडमिशन नहीं मिला है। जो बेचारे दर से प्राते हैं, एम० पी० लोगों के क्लैट में ग्राश्रय लेते हैं एडमिशन के चक्कर में हैं, ग्रभी तक उनका एडमिशन नहीं हम्रा है और इस तरीके से इन लोगों को परेशान किया जा रहा है । उपसभापति महोदय, यदि कालेज में ये সৰ देख रहे हैं कि संख्या बढ़ रही है छात्रों की, तो इसके लिये सीटें बढ़ानी चाहि रें लेकिन

बढाने की मपेक्षा घटा दिये है। मेरे पास फिगर हैं कि भ्याम लाल जालेज में 132 सीटें घटा दी गयी हैं, रामलाख ग्रानन्द कालेज में 200, खालसा कालेज में मौर किरोडीमल कालेज तवा 250 हिन्दू कालेज में छात्रों की संख्या घटा दी गई है। इसलिये हम कैसे विश्वास करें 🛡 छात्रों को प्रवेश भ्रासानी से मिल जायेगा। उपसभापति महोदय, दिल्ली विश्वविद्यालय के ग्रन्तगंत सर्वे कराइये, प्राइमरी स्कूल ग्रीर सेकेंडरी स्कूलों का सर्वे कराइये सो मापको पता चलेगा कि प्रवेश न पाने 🕏 कारण कितने बच्चे छट जाते हैं। दिल्ली में खासकर जो गरीब तबके के लोग है, जो कि ग्रपने बच्चों को दुसरी जगहों पर नहीं भेज सकते हैं, उनमें से कितनों के ही बच्चे छुट जाते हैं घोर इससे उनका भविष्य भन्धकारमय हो जाता है। जो बच्चे हायर सेकेंडरी पास करने के बाद कालेज में जाना चाहते हैं, कालेजों के इस तरीके के रवैये से कितने ही लड़के छुट जाते हैं ग्रौर उनका भविष्य ग्रन्धकारमय हो जाता है । इसको ग्राप कृपया सर्वे कराकर देख लोजिए ।

उपसभापात महोदय, मन्त्री महोदय ने कहा है कि शीं इयूल्ड कास्ट झौर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये हम रिजर्बेशन करते हैं 22 प्रतिशत शेड्यूल्ड कास्ट के लिये झौर 15 प्रतिशत शेड्यूल्ड कास्ट के लिये झौर 15 प्रतिशत शेड्यूला ट्राइब्स के लिये । ये जगहें इनके लिये सुरक्षित हैं लेकिन दाखिला देने में आनाकानी की जाती हैं । 29 जुलाई, 1983 के हिन्दुस्तान में हैं किं:

"दिल्ली विश्वविद्यालय में श्रनुसुचित जाति व जन जाति के छादों के लिये निर्धारित सीटों से काफी कम आवेदन इस वर्ष आए ें रेकिन जो अग्वेदन आए भी हैं उन प्रतुसूचित छात-छाताओं को भी प्रवेश देने में रावेगों द्वारा आनाकानी की जा रही है।

उत्र्वेखनोथ है कि इन छातों के लिये करीब 5 हजार सीटें विश्वविद्यालय में मुरक्षित हैं वेकिन केवल 1500 छात्नों ने प्रावेदन किया है। इनमें से भी ग्रधि-काश को कालेजों द्वारा प्रवेश नहीं दिया जा रहा है।

पांच हजार सीटें हैं ग्रौर 1500 म्रावेदन हैं, तब भी इनको नहीं लिया गया है। यह किस ग्रारक्षण की नीति का पालन हो रहा है ? इसमें जो मेधावी छात्न हैं, जो ह**िनन मेधावी** ভার हैं. उन्होंने भी ग्रप्लाई किया है लेकिन उनका भी एडमीशन नहीं हुन्रा है। मैंने एक प्रश्न होस्टल के बारे में किया था। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हं कि होस्टल में कितना प्रतिगत प्रारक्षण दिया गया है ? नियम तो एक ही होना चाहिए कि उसमें ग्रगर 22 ्रतिशत देते हैं तो होस्टन में भी इतनाही होना चाहिए । लेकिन होस्टल में यह प्रारक्षण 10 प्रतिशत है। यह डिप्तकिमिनेशन नहीं होता चाहिए । कालेजों में जितना उनके म्रारक्षण का प्रतिशत है, उतना ही होस्टल के मामने में भी होता वाहिए । महो-दय, इरिजन छात्रों की कित प्रकार द्रगति होती है ग्रौर उनको किन तरीके से बहाना लगा कर के टाल देते हैं। जब सरकार का नियम है, भारतीय गंतिधान के प्रार्टिकल 30 के प्रन्पार हरिजन और शैंडयूल्ड टाइब्ज के लोगों को यह प्रारक्षण प्राप्त है, यह सुविधा प्राप्त है इस तरीके से यह इसकी ग्रवहेलना करते हैं ! कभी-कभी यह छात्रों को कह देते हैं कि नहीं ग्रारक्षण नहीं है। कभी कह देते हैं कि तम्हारे

माता-पिता यहां पर रहते हैं , तुम्हारा वर यहां है, इसोलिए नहीं होगा ।

श्री उपसमापति : त्रब ग्राप समाब्त करिये ।

श्री राम भगत पासवानः मैं ग्रभी समाप्त कर रहा हूं। श्रीमन, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हुं। (व्यवधान)

श्री उपसभापति : वही बात ग्राप कह रहे हैं, माषण तो बहुत दे सकते हैं... (व्यवधान)

श्री राम भगत पासवान : हरिजन छात्रों को होस्टल...

श्री उपसभापति: यह तो ग्रापने पूछ लिया है।

श्री राम भगत पासवान : हरिजन होस्टल नहीं हैं इस कालेज में इस लिए नहीं देंगे। ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है कि हरिजन होस्टल अलग से हों और जिस प्रकार से कहते हैं कि हरिजन होस्टल नहीं हैं तो क्यों कड़ते हैं। कभी कहते हैं कि तुम्हारे माता-पिता यहां रहते हैं, कभी यह कह देते हैं कि नहीं रिजर्वेशन नहीं है। तो मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हं कि एक छात्र जो जिसने चौथा स्थान प्राप्त किया है करोड़ीमल कालेज में उस छात्र को प्रवेश नहीं मिला। कभी कहते हैं होस्टल में रम्हारे रहने से और छात चले जावेंगे। इस तरीके से जवाब दिया जा रहा है। यह आ जादी के 36 वर्ष बाद भी दिल्ली में जाति-पांति की चर्चा हो रही है, प्रचार करते हैं, छतछात की भावना गैदा करते हैं, हरिजन लड़कों को नहीं रहने देना चाहते हैं श्रीमन् वह बहुत ही होस्टल में । शर्म की बात है । इसलिए मंत्री महो-दय से ग्राप्रह करना चाहता हूं कि जितनी कालेज में प्रवेश के लिए हरिजन छावों के लिए ग्रारक्षित सीटें हैं ग्रौर होस्टल में भो हैं 22 प्रतिशत सीटें उनको देने के लिए सैयार हैं या नहीं ? वह इस

11 和原理

. 7

## 175 Calling attention re. [RAJYA SABHA] faced by SC/ST students 176 Admission difficulties in Delhi University

[श्रो राम भगत पासवान]

सदन को यह सूचना दें कि 22 प्रतिशत ग्रारक्षण का जो दिया गया है वह इसको देने के जिए तैयार हैं या नहीं ? एक बात ग्रौर मैं कहना चाहता हुं। सरकार का निर्णं हैं कि हरिजन छात्रों को कोई फीस नहीं लगती है। लेकिन देखा जाए तो जितनी जनरल छात्रों को फीस लगती है उससे फीस ली जाती है वह 15 रुपये मासिक और हरिजन विद्यार्थी से एक साल में वार्षिक 350 रुपये ले लिये जाते हैं जिसके हिसाब से वा 25-30 रूपये मासिक बैठ जाती हैं । को जहां ग्राप जनरल छात्रों से 15 रूपवे बासिक फीस लेते हैं वहां हरिजन छात्रों से 25-30 रूपमें मासिक के रूप में वसल कर लेते हैं । एनुग्रल चार्जेज के रूप में जे लेते हैं इसका मतलब है कि सरकार ने जो छट दी है उसके ग्रनसार महीं चलते हैं। करोड़ीमल कालेज में बहुत से लड़के मुझे मिले हैं। यदि सरकार ने फ़ी एजुकेशन हरिजन छात्रों को देनी है तो यह मनमानी क्यों करते हें? उपसभापति महोदय, हरिजन छाहों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है । पेपर में लिखा हुआ है । बहुत से हरिजन छात्न जब ग्रपने हक के लिए क्लेम करते हैं तो उनको पुलिस लगवा कर हटा दिया जाता है और उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है, एब्यूज किया जाता है। इस प्रकार से हरिजन छात्रों पर ग्रत्याचार हो रहा है। मैं सरकार का व्यान दिलाना चाहता हं इस पर मंत्री महोदय को मैं कहुंगा कि वे इस का स्पष्टीकरण करें कि हरिजन विद्या-थियों को क्यों इस तरह से ग्रारक्षण नीति की ग्रवहेलना की जा रही है और क्यों उनको एब्जूज किया जा रहा है, जाति-पांति की चर्चा की जा रही हैं। बहत से ऐसे भी प्रिसिपल हैं जो कि

15-15, 20-20 सालों से एक ही कालेज में बैठे हए हैं जैसे जमींदारी कायम किये हए हों। ग्राप यदि इन कालेजों का एडमिनिस्ट्रेशन ग्रच्छा बनाना चाहते हैं तो तीन वर्ष से ज्यादा समय तक एक कालेज में किसी प्रिसिपल को न रहने दें । उसका एक कालेज से दुसरे कालेज में ट्रांसफर कर दिया आए । इससे ग्रापके प्रशासन में दक्षता ग्राएगी। हरिजनों पर जो ग्रत्याचार हो रहा है उसको घ्यान में रखते हुए मैं मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं 22 प्रतिशत सीटों का ग्रारक्षण होस्टल में है क्या में इसको देने के लिए राजी हैं या नहीं? में इन शब्दों के साथ ग्रापको धन्यवाद वेता हुं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think the Minister can reply at the end because it is only a limited question of admissions. So we call the next speaker. You note down the points and reply at the end.

अो हक्मदेव नारायण यादव (बिहार): उपसभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य श्री राम भगत पासवान जी जिन बातों की चर्चा कर रहे थे ग्रौर उनकी जो भावनाएं थीं सम्पूर्ण रूप में सही थीं ग्रौर बातें भी वह पूर्ण सत्य ही कह रहे थे ग्रौर वह जो कुछ भी कह रहे थे उसमें **ग्रनभ**व ज्यादा था क्योंकि वे भी जिस स्थिति में रह कर पढ़े हैं शिक्षा-दीक्षा ली है और उनके साथ जो कट्टरपंथी समाज जहां हम ग्रौर राम भगत जी रहे हैं, जिस जिले में हमने जन्म लिया है जो **ग्रप**नी कट्टरपंथी प्रवृत्ति के कारण विश्व-विख्यात रहा है उसका अनुभव भी उनको मिला था। एक ही कालेज में हम साथ-साथ पढ़े हैं तो उस कालेज के ग्रन्भव भी इम लोगों को साथ-साथ मिले क्या हम लोगों को भुगतना पड़ता था, उस कालेज में क्या-क्या नहीं सुनना पड़ता था ग्रभी जो दिल्ली विश्वविद्यालय की बात

# 177 Calling Attention ro. [10 AUG. 1983] Admission difficulties

उठाई जा रही है और सरकार की यह योजना है, सरकार सोच रही है कि सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय में एक जैसा कार्य-कम बनाया जाय, सरकार उत्सूक है कि ग्रन्सूचित जाति ग्रौर ग्रनुसूचित जनजाति के छात्नों के लिए एक समान प्रक्रिया हो सभी विश्वविद्यालयों में, तो यह सही है कि वे प्रक्रिया बना देंगे । लेकिन अभी मौर्य जी ने एक सवाल उठाया था... (व्यवधान) प्रश्न यह आता है कि हरिजनों में जो छात योग्य हैं, स्वयं उनकी उतनी योग्यता है कि उनको कोई आपके आरक्षण की मावश्यकता नहीं है ग्रौर जब इम इतने योग्य हैं, इतने मंक प्राप्त कर लिये हैं कि किसी भी सवर्ण से ज्यादा मेधावी हैं तो ग्राप क्यों जबरदस्ती इनको ग्रारक्षण की श्रेणी में ठेल देते हो । हमको कहते हैं तुम हरिजन में मेधावी रहोगे तब भी तमको वहीं रखेंगे जहां तुम्हारे बाप-दादा थे। यह बुनियादी प्रश्न ग्राज समाज के ग्रंदर खड़ा है। इम ग्रारक्षण की उसके लिए व्यवस्था करते हैं जो कि सामान्य लोगों के मुकाबले में नहीं हैं । उनको हम विशेष ग्रवसर देते हैं। यह ग्रारक्षण शब्द तो बिल्कुल बेकार चीज है। हम समाज में विशेष ग्रवसर देते हैं उन लोगों को जो कि समाज में सामान्य लोगों की बराबरी में नहीं हैं । उनकी समता में लाने के लिए हम विशेष ग्रवसर की प्रक्रिया देते हैं। तो विशेष ग्रवसर किसको ? जो सबके बराबर नहीं उसके लिए श्रौर जब हम सब चीज में सबके बराबर हैं ही ग्रौर स्वयं ग्रपनी प्रतिभा के कारण हम कम्पीट कर जाते हैं, प्रतियोगिता में ग्रच्छे ग्रंक ले ग्राते हैं न केवल विश्व-विद्यालय में बल्कि सरकारी नौकरियों में भी... (व्यवधान) उसमें हम चले आते हैं, पहुंच जातें हैं । तो फिर इमको **ग्रारक्षण** वाला नहीं चाहिए, उनको (व्यवधान) छोड़िए । इनके ग्रलावा जो मारक्षण के लिए शर्त रखी हुई है विग

## faced by S.C./S.T. 1 78 Students in Delhi University

इस पांच प्रतिक्षत अन्य चीजों में सुविधा देंगे तो उनमें से लोगों को चुनिए। ग्रारक्षित छूट में से जो लोग ग्रच्छे हों उनमें से चुनकर ग्रारक्षण दीजिए लेकिन जो सामान्य लोगों के बरावर वाले हों उनको ग्रारक्षण की सीमा से बाहर करें और उसी ढंग से उसी तरह से दें यह एक बात है, सरकार को ग्राज इस पर सोचना चाद्दिए ।

दूसरी बात यह है कि केवल दिल्ली विश्वविद्यालय के सवाल को राम भगत पासवान जी ने उठाया है लेकिन जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय के ग्रंदर भी उपसभापति महोदय, जो हरिष्ट्रुन या पिछड़े वर्ग के छात हैं, पिछड़ी जाति के छात हैं या पिछड़े इलाके के लिए जो कुछ स्थान रिजवं हैं उन सभी बातों को तोड़-मरोड़ करके समाप्त करके ग्रपने मन की मर्जी के ग्रनुसार किया जा रहा है ग्रौर मजबूर होकर छातों को ग्रांदोलन करना पड़ता है (व्यवधान)

श्री उपसमापतिः<sup>रा</sup>वह ग्रलग सवाल उठता है। इसको मिक्सग्रप मतकीजिए । वह ग्रलग से पूछिएगा ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादवः ग्राखिर वह भी तो दिल्ली में ही है।

श्री उपसभापति : यह प्रश्न यहां है नही (व्यवधान) दिल्ली में बहुत सी चीजें हैं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : सवाल छातों के दिल्ली यूनिर्वासटी में झारक्षण का है । (व्यवधान)....सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है, ग्रपने स्टेटमेंट में इन्होंने बहुत कहा है कि सदन क प्रसन्ता होगी, प्रसन्ता होगी । लेकिन यह भी उन्होंने कहा कि "बहुत ग्रच्छ ग्रंक प्राप्त किये थे लेकिन वे विज्ञान ग्रानर्स के पाठ्यक्रमों में स्थान उपलब्ध न होने के कारण दाखिला नहीं ले सके। जब स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि ग्रच्ह ग्रंक थे ग्रीर वह ग्रानर्स ले करके साइर की पड़ाई पड़ना चाहते थे लेकिन स्था

## Calling attention re. Admission difficulties

[श्री हक्मदेव नारायण यादव] को कमी के कारण उन**ो दाखिला नहीं** मिला तो बताइये कि वे ग्रन्सूचित जाति म्रोर ग्रन्सुचित जनजाति के छात्र थे फिर भी उनको दाखिला क्यों नहीं मिला जब ग्राप उनके ग्रारक्षण की बात कहते है, समाज के दबें हुए लोगों को विशेष म्रवतर देना चाइते हैं तो अब तक श्राप हुक्मदेव नारायण यादव की जगह काट करके राम भगत पासवान के लिए जगह नहीं बना देंगे तब तक आपका कहना कि ग्रच्छे ग्रंक रहते हुए भी वे साइंस में दाखिला नहीं ले सके बहुत दुःख की बात है, शर्म की बात है। सरकार को चाहिए कि इस पर कड़ी कार्यवाही करे। उनका फर्ज बनता है कि ग्रन्थ लोगों को रोक करके इनको स्थान देते ।

श्रीमन, जहां एडमिशन के लिए फार्म वगैंरह भरा जाता है, जांच को प्रत्रिया होते है छालों को जहां चुना जाता है वहां उस चुनने वालो समिति में इनके कांस्ट ट्यभन में या किसौ में क्या कोई हरिजन या ग्रादिवासे टेंचर, प्रोफेसर रिप्रेजेंटेटिव के रूप में रहता है वा नहीं । क्यों कि आज समाज का यह मानस बना हुआ है कि जिन लोगों ने हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से उन्हें न्याय नहीं दिया है ग्रौर ग्रगर वह न्याय देते भों हैं तब भा मेरा दिल इतना जला हम्रा है कि मुझे विख्वास नहीं होता है । इसलिए मेरे विक्वास के लिए उनके प्रवेश के लिए जो कमेटों है उन कमेटियों में हमारे प्रतिनिधि रखे जाने चाहिए जिससे उनको विश्वास हो कि हमारा जो संव-वानिक हक है वह हमें मिल रहा है ग्रौर यह भों उन्होंने प्रश्न उठाया कि रहने का स्थान ... (व्यदधान)

श्री उपसभावति : अब समाप्त करिए । वह छोडिंगे जो पूछ लया गया है, उसको बोहराइवे वहीं । श्री हुक्मदेव नारायण यादव : पूड लिया उन्होंने, सहों है, लेकिन जितनो बात उन्होंने पूछो है, उसमें यागे भी कुछ उसमें छ्टा है या केवल उतने हो बात है । जो वात भगत राम जी ने पूछ लो, क्या उतनों हो बात है और उसके आगे और लोगों को पूछने को आवश्यकता नहीं है ।

श्री उपसमापतिः ग्रब क्या छूटा है ?

श्रो हुक्मदेव नारायण यादवः हम लोगों को पूछने को कोई ग्रावश्यकता नहीं है ग्रौर कहते हैं कि राम भगत जो ने पूछ लिया है, जैसे वह वेद व्यास को ग्रंतिम वाणो है ।

श्रो उपसमापति ः ग्रब समाप्त करिए । . . . (व्यवधान)

श्रो हुक्मदेव नारायण यादव ः जैसे वह वेद दर्शन है ग्रौर उसके ग्रागे कोई दर्शन नहीं है ।

श्री उपसभापति : ग्राप प्रवचन नहीं दोजिए ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादवः प्रवचन नहीं देते हैं । ग्राप तो बोच में कहते हैं कि हो गया, हो गया । लोजिए यहीं तक मेरो बात है, ग्राप जैसे चाहें सदन चलायें ।

श्रो उपसभापति : ठोक है, धन्यवाद।

भी हुक्मदेव नारायण यादव : आप हो इस सदन के सर्वेसर्वा हैं ग्रौर क्योंकि आप ऊंचो कुर्सी पर बैठ गये हैं, उांचो कुर्सी पर बैठने वाले को ग्रपनी बुद्धि का यहंकार होता है, छोटी कुर्सी वाने को नहीं होता है । यही तो हरिजन के साब भन्याय होता है । ग्राप ऊंचो कुर्सी पर बैठ गये हैं सौर अहंकारो बन नवे ।

श्री सत्य पाल मलिक (उत्तर प्रदेश) ः श्वीमन, सब से पहले तो माननीय सदस्य ने जो बहस उठाई है, उनकी भावनाम्रों **ते खुद को** जोड़ता हूं ग्रौर पाता हूं कि यह बहुत गम्भोर बात है अगर विश्वविद्यालय के दाखिले में या होस्टल के दाखिले में हरिजन छात्रों के साथ अपन्याय होता है । यह तो बहुत शर्म की बात है, लेकिन में एक निवेदन करना चाहता हं कि जब हम विश्वविद्यालय के बारे में बहस करें, तो एक सावधामो रखना चाहिए । विग्वविद्यालय में सरकार या राजनोति का कितना हस्तक्षेप हो, इस पर मेरो अपना राय है, जो मैं जाहिर करना चाइता हूं ग्रौर वह यह है कि विश्व-विद्यालय में कोई ग्रस्वस्य हस्तक्षेप सरकार को तरफ से नहीं होना चाहिए ।

मुझको याद है कि चिटेन में कहीं पढ़ रहा था---कि चिटेन को पालियामेंट में बोलते हुए इंग्लैंड को प्रधान मंत्रों ने एक बार कहा कि ग्राक्सफोर्ड विभव-विद्यालय ने कभो हमारो बात नहीं मानो भौर माक्सफोर्ड को कोई बात कमो हमने बहीं टालो भौर यह कहते हुए जिटेन का प्रधान मंत्रों फक मह्सूस करता था।

इपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बेकिन इस्तक्षेप गलत मामलों में होता है। बह मामला हस्तक्षेप के लायक है ग्रोर इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए, लेकिन गलत मामलों में हस्तक्षेप होता है, ऐसे मामलों में नहीं होता है। मैं यह जानता हूं कि मैं नहीं होता है। मैं यह जानता हूं कि मैं तहीं होता है। मैं यह जानता हूं कि मैं तहीं होता है। मैं यह जानता हूं कि मैं तहीं होता है। मैं यह जानता हूं कि मैं तहीं होता है। मैं यह जानता हूं कि मैं तहीं होता है स्विविद्यालय को ख्याति मो कि लाल बहादुर शास्तों के साहिबजादे को नम्बर कम होने के कारण दिल्लो

 $(1-1)^{-1} = (1-$ 

faced by S.C./S.T. Students in Delhi University

विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं मिर पाया था, लेकिन ग्राज ऐसा नहीं है।

में मंती महोदा से जानता चहूंग कि ना प्राय दिल्लो विषवविद्यालय ने क लेजों में इस उत को जांच करायेगे कि नया पूरी तरह छे मेरिट के प्राधार पर दाखिले हुए हैं? यह जो हमारे मनहर साहब ने जानता उठाया है, इसने भो प्राप्त प्रजानिक उठाया है, इसने भो प्राप्त के जानता उठाया है, इसने भो प्राप्त के जानता उठाया है, इसने भो प्राप्त के जानता उठाया है, इसने भो प्राह्य या सर घारों संस्था के जान्हों, देस की पिछड़ी जातियों के जो लोग हैं, उनने दाखिले के संबंध में, इसकी क्या ग्राप कोई जांच करायों गे?

में एक छोटी से घटना आपको बताना चाहता हूं । एक प्राइवेट, सेठो का कालेज है, लड़ कियों का कलेज है लेडो श्रा राम कालेज मेरी जानकारी के अधार पर वहां होस्टत में दाखले की लिस्ट लगतो है एक दिन पहले, तः मेरिट के हिसाब से लगा दो जातो हैं, मेरिट के पहले नम्बर को जो चार लड्रकियां यो, अगले दिन जिस्ट लगता है, तो उन चारों लडकियों के नाम काट दिये जाते हैं। उनके ग्रामिभावक प्रिसियल से मिलने को कोशिश करते हैं और वहां के बो वार्डन हैं, उनसे उनको मुलाकात तक नहीं हो पातो । तो दिल्लो विश्वविद्यालय में किसो नो किस्म के हस्तक्षेप का विरोधो रहने के बावजूद में आप से निवेदन करना चाहता ह कि दाखिले क मामले में मेरिट कायम रहे ग्रौर बाका लोगों के लिए मौर जो हरिजन लाग हैं, विद्यार्थी हैं, उनवे साथ किसा किस्म का भेदभाव न हो, इस सारे मामले की ग्राप जांच कराइये ।

दूतरे मैं लिवेदन करना चाहता हूं कि यह मसला इल होने वाला नहीं है।

185

## 183 Calling attention re. [RAJYA SABHA] faced by SC/ST students 184. Admission difficulties in Delhi University

# [श्री सत्यपाल मलिक]

आपके अनुसार 37 इजार सोटें आपके तमाम कालेजों में अंडर ग्रेज्युएट पढ़ाई के लिए हैं। 35 इजार के करोब आप लोग मानते हैं कि काफी ऐसे लोग हैं जो प्रभी पास करके 40 फोसदी मे ज्यादा नम्बर हासिल करके आये हैं। इसके अलावा दिल्ही के इर्द-गिर्द तीन चार सो किलोमीटर के लोग भी अपना सौभीग्य समझते हैं—-अगर उनका वच्या दिल्ली जैसी जगह में दाखिला ले स्षे। उनकी आपने कोई गिनती नहीं की है।

में जानना चाहूंगा कि कुल टोटल एप्लीकेंद्र की तादाद कितनी है ? तब आप यद्द कह सकते हैं कि सिटुएशन सेटिसफैक्ट्री है क्योकि इतने टोटल एप्ली-केंट्स में और इतनी हमारी सीट्स हैं।

मान्यवर, में यह भी निवेदन करुंगा कि यह मसला ग्राप हल नहीं कर सकते हैं, जो शिक्षा को मौजूदा शक्ल है, उसको बक्ले बगैर, चूकि बलैण्ड एकदम डिग्री हासिल करना है । बढ़ी भारी तादात में छान्न पड़ते हैं और हर ग्रादमी चाहता है कि मैं डिग्री हासिल करूं, उसका चाहे जो नतीजा निकले, चूकि और किसी किस्म की एजूकशन नही हैं जो जिदंगी के बैइतर रास्ते खोलती हो ।

तो इस सारे रश को, सारी कुव्यवस्था को रोकने के लिए जरूरी है कि शिक्षा के सिलसिले में एक नये सिरे से विचार हो । यह दुर्भाग्य की बात है, श्रीमन्, कि पिछले पांच साल में सिर्फ एक वार शिक्षा के मामले में बहस हो पाई है इन दोनों सदनों में । यह भी वदकिस्मती की बात है कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामले के लिए कोई नेबिनेट मिनिस्टर इस सरकार में नहीं है । यह भी दुर्भाप्य की बात है कि शिक्षा का वज्व पिछले दस-वीस साल के स्टेटिक चला प्राता है, उस में कोई परिवर्तन नहीं होता । इस के माने हैं कि शिक्षा को सरकार तरजीह नहीं दे रही है । म माननीय मंत्री जो से कहना चाहता हूं कि मेरिट को एनफोर्स कराइये और जो पिछड़े वर्गों के लोग हैं, हरिजन विद्यार्थी हैं जिन के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था है न सिर्फ कालेजों में बल्कि होस्टलों में भी इस बात की जांच कराइये कि उन के साथ कहीं कोई ज्यादती तो नहीं हो रही । ग्रोर में हरिजन के रिजर्वेशन की परिभाषा वही मानता हूं जो माननोय मौर्य जी ने बतायी।

SHRIMATI KANAK MUKHERJEE (West Bengal): Sir, what is revealed here, even from the statement of the Government and other discussions, is the utter bankruptcy of the administration and lack of sincerity and callousness of the Government in respect of higher education, specially of the Scheduled Castes and Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Sir, it is shocking to find the following report in the Indian Epress of July 28:

"Ironically Delhi University has reserved 22.5 per cent of seats in undergraduate courses for SC|ST students and not even half the percentage has applied for admission. Only 1,500 students have applied for admission to nearly 5,000 seats reserved for SC|ST students."

Sir, even when this is the condition, students are not getting admission. Again ironically many of the colleges have refused to honour the provisional admission slips issued by the University. See the irony. This also came in the Indian Ex press of the 5th August.

"The University authorities reportedly told the Principals that the SC|ST quota should not be misused at any cost."

So, the University is not listening to the UGC and the colleges are not listening to the University. Sir, this is the position. verything is being done formally and each

one is issuing circulars to the others. This is a vicious circle. This is going on regarding the admission of students, specially of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, so that the people of the backward strata do not enter higher education. Is it the monopoly of the so-called aristocracy and the privileged classes? I do not say that they should not get higher education. Higher education should be available for all sections of the society. from the highest to the lowest strata of society. But the point is that these colleges want to keep it a preserve for the privileged sections only; that is, they are following the legacy of the Britishers of keeping education confined only to the privileged sections and keeping the people ignorant to keep power in their own hands. So, what attitude does it reveal? It is an attitude in favour of the vested interests and against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. And what is the mechanism for checking this? If the University issues instructions, if it issues slips for admission and the colleges are not obeying them, what is the mechanism to check it? I do not know. Apart from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the hon. Minister's statement itself says:

"It is true that all students in Delhi are not able to secure admissions to colleges and courses of their choice."

It is not a question of Delhi only. All over India students are not getting admission in colleges for higher edu-Why? Because the picture cation all over India is like that. What is the policy of the Government of India? There is a total lack of a dynamic attitude towards education. What  $i_{S'}$  the percentage of growth of the student population? And what is the percentage of growth of colleges? Certainly it is much less. So, what are our Plans for? What are these Five Year Plans for? Is it because the Government is afraid of educated unemployment that they are curtailing

#### faced by S.C./S.T. Students in Delhi University

higher education? What are these plans for? I do not understand, Are the plans only to enrich the monoply houses? Or, are you in a planned way creating suffering for the people? Plan of unemployment, plan of starvation, plan of deprivation of students, shortage of accommodation in schools and colleges. What are you doing for expansion of higher education for all sections of the people including the Scheduled Castes and Scheduled Tribes? Are you really trying to curtail higher education, keeping it limited among the vested interests, the privileged classes? Do you really mean to expand higher education among all sections of the people including the Scheduled Castes and Scheduled Tribes? What do your plans say? What do your Five Year Plans say? Please compare the growth of student population including the student population among the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and the percentage of the increase in the number of colleges and the number of seats made available. There is hardly any relation...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude.

SHIRMATI KANAK MUKHERJEE: Will the honourable Minister reply to all these questions?

श्री जगन्नाथ राव जोशी (दिल्ली) : उपसभापति महोदय, म्राज कल शिक्षा संस्था-यों में प्रवेश पाना बहुत ही मुझ्किल श्रौर परेशानी की बात हो गयी है और दिल्ली विश्वविद्यालय उसके लिए कोई अपवाद नहीं कुछ दिन पहले मैंने एक व्यंग चित्र है। देखा था कि एक प्रिंसिपल सण्हब के कमरे के सामने लम्बी कतार खडी है ग्रौर प्रिंसिपल साहब नहीं हैं। लोग पूछते हैं कि प्रिसिपल साहब कहां हैं तो वहां चपरासी कहता है कि प्रिंसिपल सग्हब ग्रपने बच्चे को प्राइमरी क्लास में दाखिला दिलाने के लिये ग्रलग लाइन में खड़े हुए हैं। तो यही सारे सामान्य विद्यायियों की हालत है और अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों की

# [श्रो जगन्नाथ राव जाशा]

परेशानी कितनी होगी इस की तो कोई भो कल्पना कर सकता है। इस वक्तव्य से ऐसा पता लगता है कि सरकार ने ऐसो हिदायतें दे दो हैं, गाइड लाइन्स दे दी हैं, फिन्तु उन पर कितना ग्रमल हुन्ना है इस को देखने का कोई तराका नहीं है। हमारे साथियों ने जैसा कहा, हस्तक्षेप तो नहीं कर सकते लेकिन आखिर सरकार ने जो हिद यतें दी हैं उन ५र ग्रमल न हो तो उसके लिये जिम्नेदार कौन है इसको देखना पडेगा । मैं तो एक बात में अपने मौर्य जा से सहमत हूं ग्रोर नहीं तो मिनिस्टर साहब जवाब दें कि जो मेधावा छात्र हैं उनको सर्वसामान्य विद्यायियों में हो गिना जाना चाहिए। जैसे ग्राज भा वह जनरल सोट के लिये कोई भी खड़ा रह सकता है, उसमें चुन कर ग्रासकता है ऐसे हो जो मेधाबो है उप को सर्वसामान्य विद्यार्थियों के साथ आगे जानेक लिये पूरा इजाजत होनी बाहिए ।

दूतरे जहां तक मेरी जानकारी है में मंत्री महोदा से पुछना च हता हूं कि जब यह कहे गया गृह मन्त्रालय की तरफ से कि जैसे ग्रौर जगह ग्रारक्षण है वैसे ही यहा शिक्षा के क्षेत्र में भंग हो। 15 मौर साढ़े सात प्रतिशत तो वहां के एक अधिकारों ने कहा कि दिल्लों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये जगह रखने की कोई जरूरत नहीं है ज्योंकि दिल्लो शहर होने को वजह से पहां कोई ट्राइव है हा नहीं झौर वैसा हा नोट उन्होंने लिख दिया। ग्रौर जब उसका प्रतिवद किया गया तो मैं जानना च हता हूं कि क्या अजन्होंने जानबुझ कर ऐसा किया और उन के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया। दिल्लों केन्द्रोय सर कार के कर्मच रियों का एक बड़ां स्थान होने को वहर से जैसे हम रे अम्य मित्र है उनने लड़ क बच्चे भंग होंगे, उनन दाखिला कराने का बाद में सवाल आयेगा (व्यव-

in Delhi University धान) तो वे यह नहीं कह सकते कि दिस्ली में कोई ट्राइबल पैदा नहीं होगा या कोई हमारे मित्र या केन्द्रोय कर्मचारी मनुमूचित जाति के हों तो उनके लड़के बच्चों को प्रवेश पाने के लिये बड़ी कठिनाई होगी । सो जिन्होंने ऐसा नोट लिखा होगा उनकी विचार-धारा देखकर तो ग्रास्चयं होता है । जहाँ मावश्यकता हो वहां उनका तबादला किया जाना चाहिए । लेकिन यद्दि धारणा

किया जाना चराहए। लेकिन याथ यहा धारणा मौर प्रवृत्ति शिक्षा के क्षेत्र में रही तो मुझे नहीं लगता कि अनुसूचित जाति या जनजाति को कोई न्याय मिल सकेगा। ५हले ही वातावरण काफी दूषित है। पहले हे जैसा सम्मानपूर्ण वातावरण उनके लिये होना चाहिए वह है नहीं और जो उच्च स्थान पर बैठे हुए ग्रधिकारी हैं वे ऐसी धारणा लेकर चलेंगे तो मुझे लगता है कि आगे चलना इमारे लिए कठिन होगा।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि दिल्लो विश्वविद्यालय के कई विद्यार्थी मलग-भलग कालेजेज में तकनीकी शिक्षा भाने के लिये रड़की या श्रीनगर मादि भेजे जाते हैं। भिछले भांच साल में मेरी जानकारी है कि एक मी अनुसूचित जाति या जनजाति का विद्यार्थी साहर नहीं मेजा गया। इस की तहकीकात हो कि ऐसा क्यों नहीं हुआ और क्या ऐसा कोई विद्यार्थी या नहीं मौर या तो उसको क्या प्रवेश नहीं मिला?

तौसरी बात मुझे यह सुनकर भाष्त्रधर्ष हुग्रा कि पूरे भारत में रहने के लिये स्कालरशिप की भौर इजाफे की व्यवस्था है किन्तु दिल्ली में पी० एच० डी० के लिये तो स्कालरशिप मिलेगी भौर जब तक कोई एम० ए० पास नहीं करेगा तो पो एच० डो ज्याइन नहीं कर पायेबा। यदि यह हालत है तो इसकी भी जानकारी मन्दी महादय करायें। माज की बो

#### 189 Calling Attention re. [10 AUG. 1983] Admission difficulties

मनिश्चितता की स्थिति है वह 16 ग्रगस्त के बाद हो दुर होगा जैसा कि स्टेटमेंट से लगता है। मुझे लगता है कि 16 ग्रगस्त के बाद ही इम बहस करते तो ग्रच्छा डोता क्योंकि 16 ग्रगस्त की ग्राड़ में कहा गया है कि हम नम्बर बढ़ाने वाले हैं, हर एक को मिलेगा ग्रौर ास्त्र**ें कक्षा** के लिये जाने वालों की कठिनाई है । कुछ माइनारिटी के इंस्टीट्यू गैस हैं जो उनमें जो मी हिदायतें विश्वविद्यालयों को तरफ से हैं उनके ग्रोर ध्यान नहीं दिया जाता उन पर ग्रमल नहीं किया जाता इसको भी देखना चाहिए। इसके साथ ही सव-सामान्य में छात्रों को ग्रौर विशेषकर हरि-जन ग्रौर जन जाति के लोग जो दाखिले के लिये कठिनाइयां ग्रनुभव कर रहे हैं, उनको दूर करना चाहिये। यही मैं मंत्री जी से कहना चाहता हं ।

I P.M.

श्री सुरज प्रसाद (बिहार) : श्रीमन्, यह सही है कि सरंकार ने दिल्ली युनिवर्सिटी में शेड्यूल्ड कास्ट और शड्यूल्ड ट्राइब्ज के विद्यार्थियों के नामांकन के लिये रिजर्वेशन की व्य**स्था की है ग्रौर उसमें भी** उसने कहा है कि कितने परसेंट मार्क्स ग्राने के बाद एडमिशन होगा । शायद इसमें 33 परसेंट की बात कही गयी है, लेकिन मेरो जानकारी यह है कि सरकार का ग्रादेश कुछ है ग्रौर दिल्ली युनिवर्सिटी में नामांकन के लिये युनिवर्सिटी का नियम कुछ दूसरा है। मैं इस सम्बन्ध में सरकार से जानना चाहता हं कि क्या यह वात सहो है कि दिल्ली युनिवर्सिटी के हरिजन ग्रौर आदिवासियों के नामांकन के लिये 50 परसेंट मार्स का निर्धारण किया है, 33 परसेंट नहीं ?

दूसरी बात यह है कि सरकार कहती है कि कोई भेदभाव युनिवर्सिटी में नहीं होता। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि गत तोन सालों के अन्दर कितने शैंड्यूल्ड कास्ट ग्रीर शड्यूल्ड ट्राइब्ज विद्यायियों ने आवेदन पत्र दिए, ग्रौर कितनों का नामांकन यनिवर्सिटो ने किया ?"

तीसरी बात, जो अखबारों में भी माया है ग्रीर जैसा कि वयान में भी है, कि सीट बढ़ाने के बारे में सरकार के पास युनि-वर्सिटी से ग्रावेद ग्राया था, शायद 240 या 270 सीटें बढ़ाई गई हैं, तो तीन वर्षों में यह बात लंबित थी। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब ग्रापने स्वी-कार किया है कि एडमिशन के बारे में काफी दिक्कत है तो जो ग्रनुभव था उसके आधार पर तीन वर्षों बाद ही सीटें बढ़ाने की ग्रनमति क्यों दी गयी ?

चौथी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि सौटें कम हैं । इसकी वजह से नामांकन नहीं हो पाता । तो क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना है, जिसका ग्रभा बहुत से माननीय सदस्यों ने भी जिक किया है कि ग्रास-पास क विद्य थीं भी यहां जायकान के लिए ग्राते. हैं, कि सीटें काफी बढ़ाई जायें ताकि जो भे विद्य थीं नामांकन कराना चाहें ग्रौर उसके लिये ऐलि बिल हों, उनका नामांकन हो ।

एक स**ाल झौर जो ग्रापने मना कर** दिया वह मैं कहना चाहता हूं । वह है जवाहरलाल नेहरू युनियसिंटी के बारे में । उसके साम कि कारे में । उसके समय कि कारे में । उसके साह कर दिया गया ग्राहर ग्राहब्ज को विद्य थियों ता था, खालकर फिछड़े हुए राज्यों के लिये विशेष सुविधा दी जाती थी, लेकिन इस साल बन्द कर दिया है ।

श्री उपसमाक्तिः वह ग्रलक्ष सवाल है, उसको छोड़िये।

श्री सूरज प्रयःद : इसलिये मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस साल उस युनिवर्सिटी में भो नामां इन करायेगी ताकि उनका ऐडमि-शन हो जाए । युनिवर्सिटी में लोग कहते हैं कि लेट किया गय। है, उसके बाद भी एडमिशन होता रहा है, इस सम्बन्ध में बतायें ।

1 da bar hinga ar

#### 191 Calling attention re. Admission difficulties

[RAJYA SABHA] faced by SC/ST students 192 in Delhi University

SHRI B. D. KHOBRAGADE (Maharashtra): Sir, it is the experience that there is a great difficulty in getting admissions to the various colleges in Delhi, and particularly difficulties have been experienced by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes students. I would like to ask the hon. Minister what steps he is going to take to remove these difficulties. Personally, I feel that they should provide more colleges in Delhi, so that a large number of students can get admissions here. I would like to support the view of Mr. Maurya that those who are in merit should be given admission on merit basis and the quota for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes students should be separate. Is the Government going to adopt that policy or not? Thirdly, Sir, difficulties are being experienced in getting caste certificates in Delhi as well as out of Delhi also. The students or their guardians have to go to the court, file affidavits and then only they can get the certificates. If they cannot get the caste certificates, they cannot get the facilities. I would like to know from the hon. Minister what steps he is going to take to stop harassment of the students and also see that caste certificates are given to the students and they get the facilities which are being accorded by the Government. (Time bell rings.) Sir, am I allowed to speak for only one minute?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Put your question, please.

SHRI B. D. KHOBRAGADE: I won't take more time. One minute only. So these are the points that should be considered.

श्वी राम भगत पासवान : उपसभापति जी; मेरा प्वाइंट "ाफ "ार्डर है। शैंड्यूल्ड कास्ट्स ग्रौर शैंड्यूल्ड ट्रा-इब्स के बारे में यह विषय है इसलिये मैं ग्राप से ग्राग्रह करूंगा कि इसमें ग्रौर टाइम दे दिया जाए। श्री उपसभापतिः पहुलेही टाइम इतना लगगया। श्राप क्या समझते हैं कि जो सवाल पूछ लिये गये उसन्ने बाहर भी सवाल पूछे जा सकते हैं।

SHRI B. D. KHOBRAGADE: Would it be possible for the Government or the hon. Minister to increase the number of colleges in Delhi. I would like to ask another question. As the Scheduled Castes and Scheduled Tribes students are facing great difficulties, would it be possible for the Government to give permission to the run by the Scheduled institutions Castes to open colleges so that they can provide facilities to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes students? I don't think in Delhi a single college is being managed by any Scheduled Castes and Scheduled Tribes society. Why? Why should that be the position? The Government should take steps to see that colleges are run by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes societies and special facilities are given to them. My last point. As the private colleges are not giving any facility to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people or the students, the Government should start colleges, and not give permission to private institutions to run the colleges, so that if colleges are run by the Government then the Scheduled Castes and Scheduled Tribes students can get better facilities admissions and everything. Therefore, I would like to urge that Government should start colleges in Delhi and that policy should be followed throughout the country.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Minister, please. (Interruptions).

SHRI B. SATYANARAYAN RED-DY (Andhra Pradesh): What about me? My name is there.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your name is not there (Interruptions) SHRL B. SATYANARAYAN RED-DY: Many complaints have reached me. There are a number of problems of students. They are not getting admissions in the Universities. (Interruptions) Government must provide adequate facilities to see that all those who want to have higher education get admissions. They should either increase the number of seats in colleges, open new colleges or make arrangements with colleges outside Delhi for this purpose. (Interruptions)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat.

SHRI B. SATYANARAYAN RED-DY: Government must  $ma_{ke}$  other arrangements to provide seats for them in the rest of the country. He has not made any alternative arrangement<sub>s</sub> for providing the seats to the students. And you are now allowing me.

SHRI P. K THUNGON: Sir, in the Statement I have stated the various steps that we have taken to remove the difficulties of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes students in taking admission in the Delhi University. I would only like to reiterate that we have been quite aware of these problems and we are taking necessary steps.

SHRI B. D. KHOBRAGADE: What steps?

SHRI P. K. THUNGON: I have explained already and I am going to explain.

MR DEPUTY CHAIRMAN: Please address the Chair.

SHRI P. K. THUNGON: Sir, to maintain the brevity, instead of replying to each Member's question, I would like to touch the main points.

Sir,  $on_e$  of the main points which the hon. Members touched was whether those students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who are taken on merit, are also

#### faced by S.C./S.T. Students in Delhi University

counted out of the reserved quota. The reply is that those who are taken on merit are not counted in the reserved quota.

SHRI B. D. KHOBRAGADE: Is this policy being followed in all the States?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Have the patience to hear.

SHRI P. K. THUNGON: I have already explained the position. Sir. the other point which the hon. Members raised was that in some colleges fees are being charged from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes stu-Sir, there are certain dents. Now, fees which are charged by the respective colleges. And I would like to mention the amounts here against what subjects they charged those fees: so far as Kirorimal College is concerned Rs. 5-admission fee; Rs. 5enrolment fee; Rs. 100-security; Rs. 25-security for science; Rs. 60-library fee: Rs. 10-reading room fee: Rs. 60-development fee; Rs. 10college magazine fee; Rs. 35-sports fee; Rs. 25-students' union fee: Rs. 30-garden, identity card, etc.

AN HON. MEMBER: What is the total?

SHRI P. K. THUNGON: The total fee charged is Rs. 365|-. Out of that, Rs. 185 is refundable.

SHRI B. D. KHOBRAGADE: Is it reimbursed by the Government in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes students?

SHRI P. K. THUNGON: For instance, tuition fee, etc. are reimbursable.

Then, Sir, a point has been raised by one hon. Member that some of the minority institutions are not adhering to the guidelines of the University. To this, I would like to mention here and inform the hon. Members that the minority institutions' colleges have been adhering to the percentage which is prescribed by the University. And, one of the hon. Mem<sup>1</sup>95 Crises in the Small Scale [RAJYA SABHA] licensed to manufacture Nutan 196 Industrial Units Wick Stoves

[Shri P. K. Thungon]

bers, he was Mr. Khobragade perhaps, again asked what were the steps that the Government was taking to remove the difficulties of the students to take admissions. I have already mentioned...

SHRI B. D. KHOBRAGADE: I have made the point that the Government should open Government colleges instead of giving permission to private colleges. That is the point that I have made.

SHRI P. K. THUNGON: As I said, we have taken certain steps to mitigate the problems of the students in taking admission. Not only Khobragade Sahib but some other hon. Members also mentioned about the increase in the number of colleges. In this regard, I would like simply to state. Sir, that if concrete proposals in this connection are received we will certainly consider increasing the number of colleges.

SHRI B. D. KHOBRAGADE: Government colleges.

SHRI B. SATYANARAYAN RED-DY: For those students who have not got admission in the Delhi University are any alternate arrangements for their admission being made?

SHRI P. K. THUNGON: Sir, there is another question which was raised by an hon. Member and that is in regard to the reduction in the in-take capacity this In this regard I would like to vear. mention, Sir, that a little above 2000 seats were reduced this year because of the fact that colleges under the University of Delhi had reached the optimum limit of in-take position. And that is why two of the hon. Members mentioned that Colleges are not listening to the university. In that context I would like to mention that to increase the number of reduced seats in respective coleges a meeting was called by the Vice-Chancellor of the Delhi University on 21st June, 1983, and after the meeting was held another additional 750 seats were added to various colleges. It is not a fact that the University is not listening to the UGC. A point was also made in regard to the reservation in hostel seats by some hon. Members. I would like to State that UGC has given a guideline to the university authorities and said that about 20 per cent of the seats in the hostels should also be reserved for Scheduled Tribe and Scheduled Caste students. (*Interruptions*) So far the reserved seats available to Scheduled Caste and Scheduled Tribe students are about 10 per cent. However, the University of Delhi is being pursued to adhere to the suggestion made by the UGC.

These are the main points which the hon. Members have raised. In conclusion, I would like to reiterate that unless and until we progress not only in the educational sector but in other sectors also, we won't be able to solve this problem by way of educational efforts only.

श्वी चांद राम (हरियाणा) : अगर शेंड्यूल कास्ट की सोसाइटो कोई कालेज . खोलना चाहे तो सरकार उनको जमीन तथा आर्थिक सहायता आदि की सहूलियत देगी या नहीं देगी ?

श्री उपसभापति : जब प्रस्ताव ग्रायेगा, विचार करेंगे ।

सदन को कार्यवाही 2.15 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

The House then adjourned for lunch at twenty minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at eighteen minutes past two of the clock,

The Vice-Chairman [Dr. (Shrimati) Najma Heptulla]s in the Chair.

REFERENCE TO THE REPORTED CRISES IN THE SMALL-SCALE IN-DUSTRIAL UN/TS LICENSED TO MANUFACTURE NUTAN WICK STOVES

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRI-MATI) NAJMA HEPTULLA]: We start with special mentions. Shri Syed Shahabuddin, Not here. Dr. Mahavir.

DR. BHAI MAHAVIR (Madhya Pradesh): Madam Vice-Chairman, the subject which I have been kindly permitted to make a special mention of, relates to fuel economy as well as our policy in respect of small-scale industries. Madam, in March, 1975, at the time in oil prices and realisation about fuel shortage,